

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

विकास भवन, भू-तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

दूरभाष क्र 0771-2960279 अथवा Email - dp.cg@nic.in

क्रमांक/निर्माण/LAND/231/2026
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक #Approved Date

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत कबीरधाम
छत्तीसगढ़

विषय :- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त अद्योसंरचना निर्माण कार्यो के संबंध में।

संदर्भ :- EFILE NO. LAND-43023/231/2026 Date 02-09-2026

—000—

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना वर्ष 2026-27 अंतर्गत जिला कबीरधाम के लिए निम्नानुसार कार्यो की अनुशंसा जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड	LGD Code	यूनिट	अनुराशि (लाख में)	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मूर्तिस्थापना / चौक सौन्दर्यीकरण	रेंगाखारकला	रेंगाखारकला	बोडला	126501	1	15.00	
योग						1	15.00	

(अक्षरी राशि रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

अनुमोदित कार्यो पर क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित मार्गदर्शिका क्र 13, दिनांक 23/04/2016 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो। स्वीकृति में प्रशासकीय, वित्तीय तकनीकी एवं अन्य प्रावधानों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

- यदि एक ग्राम/ग्राम पंचायत में एक ही स्थल पर समान स्वरूप (Same work) के कार्य की दो बार जारी की गई है, तो एक कार्य की ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए दूसरे कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न की जावे एवं इसकी सूचना पंचायत संचालनालय को दी जावे।
- अनुशंसित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होने के पूर्व तकनीकी प्राक्कलन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाये।
- कार्य स्वीकृति उपरांत राशि संबंधित पंचायत के खाते में नियमानुसार तत्काल अंतरित की जावे। राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- वास्तविक प्राक्कलन के आधार पर कार्य स्वीकृति के समय यह विशेष ध्यान रखा जावे कि स्वीकृत कार्य की कुल लागत अनुमोदित राशि से अधिक न हो।
- अनुमोदित राशि का लेखा संधारण संबंधित कार्यकारी पंचायत द्वारा रखा जावेगा। योजना अथवा जिस प्रयोजन हेतु अनुदान दिया जा रहा है, उसका उपयोग भी उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा।
- योजना के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- अनुमोदित कार्य की संलग्न सूची अनुसार कार्य की विधिवत् तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित की जावे कि संबंधित कार्य पूर्व से किसी अन्य योजना से स्वीकृत/निर्मित नहीं है। यदि यह पता चले कि अनुशंसित कार्य की स्वीकृति/निर्माण पूर्व में हो चुका है, तो अनुशंसा स्वतः निरस्त मानी जावे तथा इसकी सूचना इस विभाग को दी जावे।
- कार्य निर्धारित प्राक्कलन एवं मापदंड अनुसार ही कराया जाय तथा तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जावे।

9. क्रियान्वयन एजेन्सी को यह स्पष्ट निर्देश दिये जावे कि शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक किश्त के पश्चात उपयोगिता प्रमाणित होने के उपरांत ही आगामी किश्त जारी करे। एक मुश्त राशि किसी भी परिस्थिति में जारी न किये जावे एवं कार्य स्थल पर बोर्ड लगाया जावे।
10. जारी किये जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह की 05 तारीख तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित कार्यकारी पंचायतों से संकलित कर समय सीमा में इस विभाग को अनिवार्य रूप से भेजेंगे, साथ ही इसकी जानकारी ई-मेल पर भी देंगे।
11. अनुमोदित कार्य में किसी भी प्रकार की संशोधन हेतु अनिवार्यतः पंचायत संचालनालय को भेजा जावे।
12. नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में कार्य स्वीकृत न किये जावे।
13. अनुशंसित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होने के पूर्व यह परीक्षण कर लिया जावे कि चयनित स्थल वनभूमि/निजी भूमि न हो। चयनित स्थल वनभूमि/निजी भूमि होने की स्थिति में इसकी सूचना पंचायत संचालनालय को प्रेषित किया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

Digitally signed by
PRIYANKA RISHI MAHOBIA (प्रियंका ऋषि महोबिया)
Date: 21-09-2026
10:31:02
भा. प्र. से.
संचालक
पंचायत, संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर

पृ. क्रमांक/निर्माण/LAND/231/2026

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक #Approved Date

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, विकास आयुक्त कार्यालय, सिविल लाईन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक पंचायत, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।